



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 658/2010 धारा-323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जावेद पुत्र मो0 अहमद मोहल्ला हैदरगंज कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 8,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ श्री ए.के. सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव